राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1369/2015/जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन–III, राज., जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अमित फार्मा, 405, III[rd] फ्लोर,
दवा बाजार, फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 09/08/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 45/अपील्स–तृतीय/14–15/एफ में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18, 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने को चुनौती दी गयी है उस पर विचार किया गया। इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. का जो क्लेम किया गया था उसमें से कुछ राशि का सत्यापन नहीं होने से उसे रिवर्स करते हुए उसकी मांग कायम की गयी थी परन्तु आई.टी.सी. के रिवर्स करने के साथ ही उस राशि रूपये 25,552/– की दुगुनी राशि की शास्ति रूपये 51,104/– भी आरोपित की गयी थी जिसे अपीलीय अधिकारी ने अनुचित मानते हुए अपास्त किया है क्योंकि आई.टी.सी. के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्ठियां व्यवहारी की लेखा–पुस्तकों में दर्ज

लगातार.....2

थी ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में रिवर्स की गयी कर राशि को मय ब्याज यथावत रखा है एवं धारा 61 की शास्ति को अपास्त किया है उसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है एवं न ही राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील आधारों में ऐसा कोई आधार दिया गया है जो शास्ति के आरोपण को विधिसम्मत बता सके। इस सम्बन्ध में यह टिप्पणी करना भी उचित है कि प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधिपार दवाईयों की बिक्री नहीं होने के आधार पर उससे सम्बन्धित आई.टी.सी. को रिवर्स किया गया था परन्तु उससे सम्बन्धित समस्त क्रय–विक्रय लेखा–पुस्तकों में अंकित होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू (2010) 26 टैक्स अपडेट 01** के आलोक में धारा 61 की शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है अतः अपील निर्णय की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य